य सहायक कलेक्टर आहोर पीठासीन अधिकारी श्री प्रशान्त शर्मा **RAS**

जस्व वाद संख्या 41/2018

वादी **बनाम** **प्रतिवादी**

वादी	प्रतिवादी
गुमानाराम पुत्र थानारामजी कौम चौधरी, निवासी रायथल, तहसील आहोर जिला जालोर (राज.)	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर

दावा बाबत् नाम की घोषणा एंव रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1995

उपस्थिति :– **श्री मांगीलाल चौधरी वकील वादी**

तहसीलदार आहोर प्रतिवादी संख्या 01

निर्णय

दिनांक :– 30/10/2019

वादी द्वारा दावा बाबत् नाम की घोषणा एंव रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1995 पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा रायथल के खसरा नम्बर 72, 750, 1695 कुल रकबा 2.92 हैक्टर किस्म सेवज द्वितीय /बारानी प्रथम आराजी वादी की आई हुई हैं, वादी राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपना नान घमडाराम पुत्र थानाराम के स्थान पर सही व वास्तविक नाम राजस्व रेकर्ड में गुमानाराम पुत्र थानारामजी दर्ज करवाने की घोषणा का वाद पेश किया है, वादी का नाम सहीं एवं वास्तविक व निजी दस्तोवजात् में दर्ज नाम के अनुसार उपरोक्त राजस्व रेकर्ड में घमडाराम पुत्र थानाराम के स्थान पर गुमानाराम पुत्र थानारामजी के नाम की घोषणा की जावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आहोर जिला-जालोर (राज.)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर, जिला–जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

वादी का वास्तविक नाम गुमानाराम पुत्र थानारामजी ही है एवं घमडाराम व गुमानाराम एक ही व्यक्ति है। सबुत हेतु वादी ने अपने निजी दस्तावेजात् यानि आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर से जारी बचत खाता की पास बुक, परिवार राशन कार्ड, आर.आई व पटवारी की रिर्पोट, विद्युत विभाग द्वारा जारी बिल, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड, विद्यालय टी.सी. गैस पासबुक ईत्यादि में नाम गुमानाराम पुत्र थानारामजी ही दर्ज है

अतः श्रीमान के न्यायालय में नाम की घोषणा का वाद म्य शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा रायथल के खसरा नम्बर 72, 750, 1695 कुल रकबा 2.92 हैक्टर किस्म सेवज द्वितीय /बारानी प्रथम आराजी में वादी का नाम मिस्टेक त्रुटिवंश वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गुमानाराम पुत्र थानारामजी के स्थान पर घमडाराम पुत्र थानाराम दर्ज कर दिया है इस कारण नाम में दुरूस्ती कर वादी का नाम गुमानाराम पुत्र थानारामजी दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें। तथा राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती हेतु तहसीलदार आहोर पर आदेश प्रदान करावें।

वादी द्वारा वाद पत्र म्य शपथ पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया जा कर जरिये नोटिस के प्रतिवादी को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 01 ने अपना जवाब पेश कर निवेदन किया की सरहद मौजा रायथल के खसरा नम्बर 72, 750, 1695 कुल रकबा 2.92 हैक्टर किस्म सेवज द्वितीय /बारानी प्रथम में वादी गुमानाराम की बजाय राजस्व रेकर्ड में घमडाराम दर्ज हुआ है, इस कारण वादी द्वारा पेश दस्तावेजो के आधार पर नाम दुरूस्त कर गुमानाराम किया जाना न्यायसंगत है। इस प्रकार दस्तावेजो के आधार पर दावा डिक्री फरमावें।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादी द्वारा बहस के दौरान दस्तावेज फहरिस्त के साथ आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर से जारी बचत खाता

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर जिला-जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

ो पास बुक, परिवार राशन कार्ड, आर.आई व पटवारी की रिर्पोट, विद्युत विभाग द्वारा जारी बिल, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड, विद्यालय टी.सी. गैस पासबुक ईत्यादि दस्तावेज पेश किये जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादी द्वारा कथन किया गया कि राजस्व रेकर्ड में वादी स्वम् का नाम घमडाराम के स्थान पर गुमानाराम दर्ज करवाना चाहता है, वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजो एवम् प्रतिवादी संख्या 01 राज्य पैरोकार उपस्थित। जिन्होनो कथन किया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र, शपथ पत्र, अन्य दस्तावेजो की प्रस्तुत छाया प्रतियो के अनुसार वादी का नाम घमडाराम नहीं हो कर गुमानाराम होना सिद्व हो रहा है। तथा सभी तथ्यो के आधार पर वादी का नाम गुमानाराम दुरूस्त किया जाता है तो राज्य सरकार का हित प्रभावित नहीं होना। और कोई नई बात नहीं कहीं।

हमने सम्पूर्ण प्रत्रावली का अध्ययन किया एवं बहस के बिन्दूओं पर मनन भी किया। जिसके अनुसार वादी अपना नाम गुमानाराम नाम सिद्व करने में सफल रहने से दावा वादी स्वीकार किया जा कर नाम दुरूस्त किया जाने योग्य प्रतीत हो रहा है।

आदेश

अतः दावा वादी डिक्री किया जाता है कि सरहद मौजा रायथल के खसरा नम्बर 72, 750, 1695 कुल रकबा 2.92 हैक्टर किस्म सेवज द्वितीय /बारानी प्रथम से सम्बधित राजस्व रेकर्ड में दर्ज घमडाराम पुत्र थानाराम के स्थान पर गुमानाराम पुत्र थानारामजी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार आहोर माफिक निर्णय राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। प्रत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

प्रशान्त शर्मा RAS
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर, जिला-जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner